

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1649
जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

गंगा नदी में प्रदूषण

1649. श्री मुरारी लाल मीना:

डॉ मोहम्मद जावेद:

श्री सुखदेव भगत:

श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2019 से गंगा नदी में प्रदूषण स्तर (अकार्बनिक, कार्बनिक भारी धातु आदि) का ब्यौरा क्या है;
- (ख) वर्ष 2019 से अब तक नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है तथा राज्य-वार पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या क्या है;
- (ग) आवंटित बजट और व्यय का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या अब तक नमामि गंगे कार्यक्रम का कोई प्रभाव विश्लेषण किया गया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क): गंगा नदी के जल गुणवत्ता की मानीटरिंग गंगा नदी की मुख्य धारा वाले राज्यों अर्थात् उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के माध्यम से की जा रही है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा स्नान के अधिसूचित प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों में शामिल वास्तविक मानदंडों और जैविक मानदंडों के राज्य-वार आंकड़ों की सीमा को **अनुलग्नक-I** में दर्शाया गया है। वर्ष 2019, वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में अकार्बनिक मानदंडों और भारी धातुओं से संबंधित राज्यवार आंकड़े **अनुलग्नक-II** में दर्शाया गए हैं।

(ख): नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए जनवरी 2019 से कुल 222 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इस अवधि के दौरान 191 परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जिसका ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दर्शाया गया है।

(ग) : परियोजना-वार आबंटित बजट और व्यय का ब्योरा **अनुलग्नक-IV** में दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ): भारतीय नमामि गंगे मिशन (एनजीएम) के कार्यों के मूल्यांकन का काम प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय (एएससीआई) को थर्ड पार्टी एजेंसी (टीपीए) के रूप में दिया गया था। एएससीआई ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि नमामि गंगे मिशन से गंगा नदी बेसिन में अपशिष्ट जल शोधन इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बढ़ोतरी हुई है जिसमें नदी तट और घाट विकास, नदी तल सफाई प्रक्रियाओं, वनीकरण, जैव विविधता, जैविक कृषि आदि के क्षेत्र में निवेश में संतुलन स्थापित किया गया है। पहल की दृष्टि से जनभागीदारी में सहयोग करने सहित कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण, परियोजनाओं के अन्य महत्वपूर्ण योगदान हैं। बेसिन राज्यों और स्थानीय निकाय प्रतिष्ठानों के अंतर्गत इन कार्यों को बढ़ावा देना, विकेंद्रीकरण कार्यक्रम की विशेषता रही है। एएससीआई ने अपनी समीक्षा में उल्लेख किया है कि नमामि गंगे मिशन ने निरंतर प्रवाह (अविरल धारा) और अप्रदूषित प्रवाह (निर्मल धारा) के अपने अधिदेश को प्राप्त करने में अच्छी प्रगति दर्शाई है। इसने बड़े पैमाने पर नदी संरक्षण कार्यक्रम को मिशन मोड में कार्यान्वित करने का सफल और अनुकरणीय मॉडल को दर्शाया है और वैश्विक मान्यता प्राप्त की है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने गंगा नदी की जल गुणता की मानीटरिंग की है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 (वर्ष 2019 और वर्ष 2021 के आंकड़े) में किए गए आकलन के आधार पर गंगा नदी पर प्रदूषित नदी हिस्से (पोल्यूटिड रिवर स्ट्रेच) इस प्रकार हैं:

- क. उत्तराखंड, प्रदूषित हिस्से (बीओडी <3 मि.ग्रा/ली.) के अंतर्गत नहीं आता है;
- ख. उत्तर प्रदेश में, फर्रुखाबाद से इलाहाबाद और मिर्जापुर से गाजीपुर तक का क्षेत्र-प्राथमिकता श्रेणी-V (बीओडी 3-6 मिलीग्राम/लीटर) में आता है;
- ग. बिहार में बक्सर, पटना, फतवा और भागलपुर के साथ का क्षेत्र-प्राथमिकता श्रेणी IV (बीओडी 6-10 मिलीग्राम/लीटर) में आता है;
- घ. झारखंड प्रदूषित हिस्से (बीओडी <3 मिग्रा/ली) के अंतर्गत नहीं आता है।
- ङ. पश्चिम बंगाल में, बहरामपुर से हल्दिया- प्राथमिकता श्रेणी-IV (बीओडी 6-10 मिलीग्राम/लीटर) में आता है।

इसके अतिरिक्त, घुलित ऑक्सीजन का मान, जो नदी स्वास्थ्य का एक सूचक होता है, अधिसूचित प्राथमिक स्नान जल गुणवत्ता मानदंडों की स्वीकार्य सीमाओं के भीतर पाया गया है और यह गंगा नदी के लगभग संपूर्ण क्षेत्र में नदी के इको-सिस्टम को संतोषजनक रूप से सहयोग करता है।

अनुलग्नक-1

“गंगा नदी में प्रदूषण” के संबंध में दिनांक 01.08.2024 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1649 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

सीपीसीबी द्वारा नहाने के अधिसूचित प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों में शामिल वास्तविक और जैविक मानदंडों का राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा

राज्य	मानदंड		मानक मान	2019		2021		2022	
				न्यू.	अधि.	न्यू.	अधि.	न्यू.	अधि.
उत्तराखंड	वास्तविक मानदंड	पीएच	6.5 से 8.5	7.1	8.4	6.4	8.4	7	8.6
		घुलित ऑक्सीजन	≥ 5मि.ग्रा/ली.	8.6	11.8	8	11	6.2	11
	कार्बनिक मानदंड	जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग	≤ मि.ग्रा/ली.	1	2	1	2.6	1	2.8
उत्तर प्रदेश	वास्तविक मानदंड	पीएच	6.5 से 8.5	6.5	8.7	6.5	8.5	6.4	8.7
		घुलित ऑक्सीजन	≥ 5 मि.ग्रा/ली.	4.6	12.2	5	12	4.1	11.6
	कार्बनिक मानदंड	जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग	≤ 3 मि.ग्रा/ली.	0.5	5.8	1	5.3	1	6.9
बिहार	वास्तविक मानदंड	पीएच	6.5 से 8.5	6.6	8.8	6.6	8.6	6.9	8.7
		घुलित ऑक्सीजन	≥ 5 मि.ग्रा/ली.	5.6	9.8	3.7	12.8	5	13.4
	कार्बनिक मानदंड	जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग	≤ 3 मि.ग्रा/ली.	1.1	2.9	1	7.9	1	3.2
झारखंड	वास्तविक मानदंड	पीएच	6.5 से 8.5	7.6	8.6	7.4	7.8	7.4	7.6
		घुलित ऑक्सीजन	≥ 5 मि.ग्रा/ली.	7.8	8.6	6.4	7.8	6.6	7.3
	कार्बनिक मानदंड	जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग	≤ 3 मि.ग्रा/ली.	2.2	2.8	1.2	2.4	1.1	1.6
पश्चिम बंगाल	वास्तविक मानदंड	पीएच	6.5 से 8.5	6.7	8.9	6.4	8.6	6.8	8.6
		घुलित ऑक्सीजन	≥ 5 मि.ग्रा/ली.	3.5	11.5	3.2	9.9	4.8	9.4
	कार्बनिक मानदंड	जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग	≤ 3 मि.ग्रा/ली.	0.4	8	1.1	4.7	1	4.9

नोट: सभी मानदंडों को मिलीग्राम/ली. में दिखाया गया है, केवल पीएच को छोड़कर

अनुलग्नक-II

“गंगा नदी में प्रदूषण” के संबंध में दिनांक 01.08.2024 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1649 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

गंगा की मुख्य धारा वाले राज्यों में अकार्बनिक और भारी धातु के आंकड़ों का राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा

राज्य	मानदंड		2019		2021		2022		
			न्यू.	अधि.	न्यू.	अधि.	न्यू.	अधि.	
उत्तराखंड	अकार्बनिक मानदंड	क्लोराइड	4	19	बीडीएल	20	बीडीएल	56	
		अमोनिकल-एन	विश्लेषण नहीं किया गया		विश्लेषण नहीं किया गया				
		कैल्शियम	34	98	18	210	बीडीएल	280	
		मैगनीशियम	16	44	5	90	6	124	
		सल्फेट	विश्लेषण नहीं किया गया		10	140.2	10.1	81	
		फ्लोराइड	विश्लेषण नहीं किया गया		बीडीएल	2.4	बीडीएल	1.1	
	भारी धातु	आर्सेनिक	विश्लेषण नहीं किया गया		विश्लेषण नहीं किया गया		बीडीएल		
		कैडमियम					बीडीएल	0.3	
		तांबा					बीडीएल		
		लेड					बीडीएल		
		क्रोमियम					बीडीएल	0.4	
		निकल					बीडीएल		
		ज़िंक					बीडीएल		
		मरकरी					बीडीएल		
		आयरन					बीडीएल	4.8	
	उत्तर प्रदेश	अकार्बनिक मानदंड	क्लोराइड	3.8	64	6	3100	8	80
			अमोनिकल-एन	0.02	1.9	बीडीएल	1.08	बीडीएल	0.8
			कैल्शियम	20	156	14	332	12	654
मैगनीशियम			8.3	96	9.7	183	12.6	434	
सल्फेट			8.2	58	बीडीएल	170	बीडीएल	230	
फ्लोराइड			0.02	2.8	बीडीएल	1.07	बीडीएल	28	
भारी धातु		आर्सेनिक	0.02		विश्लेषण नहीं किया गया		बीडीएल		
		कैडमियम	बीडीएल	विश्लेषण नहीं किया	उपलब्ध नहीं		बीडीएल		

राज्य	मानदंड	2019		2021		2022		
		न्यू.	अधि.	न्यू.	अधि.	न्यू.	अधि.	
			गया					
	तांबा	बीडीएल	0.8	बीडीएल		बीडीएल		
	लेड	बीडीएल	0.2	0.04		बीडीएल		
	क्रोमियम	बीडीएल	0.09	बीडीएल		बीडीएल		
	निकल	0.03	0.2	विश्लेषण नहीं किया गया		बीडीएल		
	ज़िंक	0.03	0.6	0.01		बीडीएल		
	मरकरी	0.005	0.05	विश्लेषण नहीं किया गया				
	आयरन	0.1	12.5	विश्लेषण नहीं किया गया	0.1	1.9		
बिहार	अकार्बनिक मानदंड	क्लोराइड	7	63	9	108	बीडीएल	121
		अमोनिकल-एन	0.01	2.1	बीडीएल	5.6	बीडीएल	9.5
		कैल्शियम	2.4	74	9	100	11.2	61.7
		मैगनीशियम	1.5	87	4.8	55.3	4.4	53.9
		सल्फेट	2.3	122	बीडीएल	98.4	बीडीएल	4385
		फ्लोराइड	0.01	0.9	बीडीएल	1	बीडीएल	0.9
	भारी धातु	आर्सेनिक						
		कैडमियम						
		तांबा						
		लेड						
		क्रोमियम						
		निकल						
		ज़िंक						
		मरकरी						
आयरन								
झारखंड	अकार्बनिक मानदंड	क्लोराइड						
		अमोनिकल-एन						
		कैल्शियम						
		मैगनीशियम						
		सल्फेट						
		फ्लोराइड						

राज्य	मानदंड		2019		2021		2022		
			न्यू.	अधि.	न्यू.	अधि.	न्यू.	अधि.	
	भारी धातु	आर्सेनिक							
		कैडमियम							
		तांबा							
		लेड							
		क्रोमियम							
		निकल							
		ज़िंक							
		मरकरी							
		आयरन							
		पश्चिम बंगाल	अकार्बनिक मानदंड	क्लोराइड	4.8	6555	बीडीएल	2321	बीडीएल
अमोनिकल-एन	बीडीएल			2.1	बीडीएल	1.6	बीडीएल	1.1	
कैल्शियम	4			184	12	244	बीडीएल	46	
मैगनीशियम	1.8			382	बीडीएल	131	बीडीएल	25	
सल्फेट	4.6			552	8.2	1134	10.3	652	
फ्लोराइड	0.1			0.6	बीडीएल	1.06	बीडीएल	0.5	
भारी धातु	आर्सेनिक			बीडीएल		बीडीएल		बीडीएल	0.01
	कैडमियम			बीडीएल		बीडीएल		बीडीएल	
	तांबा		बीडीएल	28.5		बीडीएल		बीडीएल	
	लेड			बीडीएल		बीडीएल	0.06	बीडीएल	0.02
	क्रोमियम			बीडीएल		बीडीएल		बीडीएल	
	निकल			बीडीएल		बीडीएल		बीडीएल	
	ज़िंक		बीडीएल	84		बीडीएल	0.19	बीडीएल	0.2
	मरकरी			बीडीएल		बीडीएल		बीडीएल	
	आयरन		बीडीएल	62		बीडीएल	11.4	0.1	7.9

नोट: 1. बीडीएल- डिटेक्शन सीमा से नीचे, एनए -विश्लेषण नहीं किया गया

2. सभी पैरामीटर मिलीग्राम/ली.

अनुलग्नक-III

“गंगा नदी में प्रदूषण” के संबंध में दिनांक 01.08.2024 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1649 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

जनवरी 2019 से जून 2024 तक नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत स्वीकृत और पूरी की गई परियोजनाओं की राज्यवार कुल संख्या का विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या	राज्य/अन्य	जनवरी 2019 - जून 2024 तक	
		स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या*
क. सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं:			
1	उत्तराखंड	10	18
2	उत्तर प्रदेश	33	31
3	बिहार	15	15
4	झारखंड	3	2
5	पश्चिम बंगाल	17	11
6	हरियाणा	0	0
7	दिल्ली	0	8
8	हिमाचल प्रदेश	0	1
9	राजस्थान	0	0
10	मध्य प्रदेश	3	0
	उप योग	81	86
ख.	साझा बहिस्त्राव उपचार संयंत्र, नदी तट विकास, संस्थागत विकास, अनुसंधान और अध्ययन, जैव विविधता, वनीकरण, आदि।	141	105
	योग	222	191

* इन पूर्ण परियोजनाओं में 2019 से पहले स्वीकृत परियोजनाएं भी शामिल हैं।

अनुलग्नक-IV

“गंगा नदी में प्रदूषण” के संबंध में दिनांक 01.08.2024 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1649 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

“गंगा नदी में प्रदूषण” के संबंध में दिनांक 01.08.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1649 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

परियोजना-वार आवंटित बजट और व्यय का विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का प्रकार	कुल स्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	व्यय/जारी* (करोड़ रु.)
1	सीवरेज अवसंरचना परियोजनाएं	32,070	15,001.01
2	घाट और शवदाहगृह	1,808.59	1,257.60
3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	295.26	192.65
4	संस्थागत विकास (गैर-बुनियादी ढांचा)	1614.89	523.77
5	परियोजना कार्यान्वयन सहायता / अनुसंधान और अध्ययन परियोजनाएं / जनसंपर्क और सार्वजनिक आउटरीच	320.47	113.69
6	जैव विविधता	338.63	110.50
7	वनीकरण	537.33	374.24
8	समग्र पारिस्थितिक टास्क फोर्स और गंगा मित्र	335.04	195.89
9	बायोरेमेडिएशन	338.39	38.08
10	गंगा नदी के पास ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) का निर्माण	1,421.26	1,020.44
	कुल योग	39,080	18,827.87

* राशि में राज्य का हिस्सा भी शामिल है।
